(13)

न्यायालय श्री मेघराज सिंह मीना, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 54/2024
सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर हाल कालवाड।

प्रार्थी,

बनाम

1. काना पुत्र श्री तुलसा, जाति–बलाई, निवासी–चकसरणाडूंगर, तहसील–कालवाड। (मृतक)
   - 1/1 श्रवण लाल पुत्र स्व0 श्री काना, जाति–बलाई, निवासी–ग्राम–चकसरणाडूंगर, तहसील–कालवाड।(मृतक)
     - 1/1/1 मनभरी देवी पत्नी स्व. श्री श्रवणलाल, जाति–बलाई, निवासी– ग्राम–चकसरणाडूंगर, तहसील–कालवाड।
     - 1/1/2 राजू पुत्र स्व. श्री श्रवणलाल, जाति–बलाई, निवासी–ग्राम–चकसरणाडूंगर, तहसील–कालवाड।
     - 1/1/3 जयनारायण पुत्र स्व. श्री श्रवणलाल, जाति–बलाई, निवासी–ग्राम–चकसरणाडूंगर, तहसील–कालवाड।
     - 1/1/4 मन्जू पत्नी श्री लालाराम पुत्री श्रवणलाल, निवासी–आछोजाई, तह0–आमेर।
   - 1/2 नन्छूलाल पुत्र स्व0 श्री काना, जाति–बलाई, निवासी–ग्राम–चकसरणाडूंगर, तहसील–कालवाड।
   - 1/3 लालाराम पुत्र स्व0 श्री काना, जाति–बलाई, निवासी–ग्राम–चकसरणाडूंगर, तहसील–कालवाड।
   - 1/4 लछमा देवी पुत्री स्व0 श्री काना, जाति–बलाई, निवासी–ग्राम–चकसरणाडूंगर, तहसील–कालवाड।
   - 1/5 मशली देवी पत्नी श्री महादेव पुत्री स्व0 श्री काना, जाति–बलाई, निवासी– ग्राम–चकसरणाडूंगर, तहसील–कालवाड।
   - 1/6 लल्ली देवी पत्नी श्री शंकर लाल स्व0 श्री काना, जाति–बलाई, निवासी– ग्राम–बसेडी, तहसील–कालवाड।
2. सेजा पुत्र श्री तुलसा, जाति–बलाई, निवासी–चकसरणाडूंगर, तहसील–कालवाड।
3. रामचन्दा पुत्र श्री तुलसा, जाति–बलाई, निवासी–चकसरणाडूंगर, तहसील–कालवाड।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

(14)

उपस्थिति :–
1. पेरोकार सरकार।
2- श्री भूपेन्द्र भारद्वाज, अभिभाषक, अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय दिनांक : 30.04.2026

तहसीलदार, जयपुर हाल कालवाड द्वारा यह निवेदन किया गया हैं कि ग्राम–चक सरना डूंगर की आराजी खसरा नं0 27 रकबा 25 बीघा 15 बिस्वा, आराजी खसरा नं0 40 रकबा 15 बिस्वा, आराजी खसरा नं0 45/53 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा, आराजी खसरा नं0 44 रकबा 5 बिस्वा, आराजी खसरा नं0 40/61 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा भूमि ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी बहतमाम पुजारी रामदयाल पि0मु0 नन्दकिशोर जाति ब्राहम्ण, राजवैध साकिन जयपुर मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में दर्ज थी जो सम्वत् 2024–2027 की जमाबन्दी में माफी के इन्द्राज बिना किसी वैध आदेश के विलोपित होकर कॉलम न0 5 में कृषक के रूप में तुलसा पुत्र डूंगा के नाम दर्ज है। तत्पश्चात नामा. सं. 7 विरासत के द्वारा तुलसा के स्थान पर काना तेजा रामचन्दा पुत्र तुलसा जाति बलाई दर्ज हुआ। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 में अप्रार्थियान् काना तेजा रामचन्दा पि0 तुलसा साकिन देह दर्ज है, जो पुनः ठिकाना श्री ठाकुजी श्री बिहारी जी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक हाजिर आये और जवाब पेश किया जो शामिल मिसल है। तहसीलदार, कालवाड से जरिये पत्रांक भू0अ0/25/2054 दिनांक 20.05.2025 जवाबुलजवाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल है।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान् पेरोकार सरकार ने रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 के कॉलम सं0 03 नाम भोक्ता पिता का नाम जाति व निवास स्थान में ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी बहतमाम पुजारी रामदयाल पि0मु0 नन्दकिशोर जाति ब्राहम्ण, राजवैध साकिन जयपुर मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में दर्ज थी जो सम्वत् 2024–2027 की जमाबन्दी में माफी के इन्द्राज बिना किसी वैध आदेश के विलोपित होकर कॉलम न0 5 में कृषक के रूप में तुलसा पुत्र डूंगा कौम बलाई अंकित है। जो सम्वत् 2024–2027 की जमाबन्दी में माफी के इन्द्राज बिना किसी वैध आदेश के विलोपित होकर कॉलम न0

न्यायालय अति. कलक्टर जयपुर

5 में कृषक के रूप में तुलसा पूत्र डूंगा बलाई तत्पश्चात् नामा0सं0 7 विरासत के द्वारा तुलसा के स्थान पर काना तेजा रामचन्दा पुत्र तुलसा जाति बलाई दर्ज हुआ। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 में अप्राथियान् काना तेजा रामचन्दा पि0 तुलसा कौम बलाई साकिन देह दर्ज है। जो अनुचित हैं और बिना वैध और बिना सक्षम आदेशों के किया गया हस्तानान्तरण प्रारम्भ से शून्य होने से काबिले निरस्त हैं। मन्दिर/मूर्ति शाश्वत नाबालिग है, शाश्वत नाबालिग के हितो की रक्षा करना सरकार का दायित्व है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। नाबालिग स्वयं काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को खातेदारी अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गऐ है तो वह प्रभाव शून्य माने जावेंगे अतः इन्द्राजों को निरस्त कर विवादग्रस्त आराजी वापिस ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक श्री भूपेन्द्र भारद्वाज ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुऐ कथन किया कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है रेफरेन्स प्रार्थना पत्र एक दीर्घ अवधि के पश्चात् बिना किसी वैध अधिकार आधारहीन तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है प्रार्थी द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 के अनुसार माफी मंदिर ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी व अहतमाम पूजारी रामदयाल पुत्र नन्दकिशोर, जाति–ब्राह्मण, राजवैद्य जयपुर रामगंज के नाम कॉलम 3 में दर्ज है तथा मिसल के कॉलम नंबर–5 में तुलसा पुत्र डूंगा कौम बलाई दर्ज है। सम्वत् 2024–27 की जमाबंदी में माफी के इन्द्राज बिना किसी वैद्य आदेश के विलोपित होकर कॉलम नंबर–5 में कृषक के रूप में तुलसा पुत्र डूंगा बलाई का नाम दर्ज है। तत्पश्चात् अलग–अलग नामान्तकरण विरासत के अनुसार उपरोक्त आराजी का नामान्तरकरण खोला गया और वर्तमान में उपरोक्त आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है जिसको निरस्त किया जाकर उक्त भूमि मंदिर श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी के नाम दर्ज की जायें, उक्त प्रार्थना पत्र कानूनी रूप से पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज फरमाये जाने योग्य हैं। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र तथ्यों को तोड–मरोडकर एवं गलत तथ्य पेश करके प्रस्तुत किया हैं, जिस खतौनी बन्दोबस्त में वादग्रस्त आराजी श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी के नाम का अंकन होने

न्यायालय अति. कलक्टर जयपुर

का तर्क दिया है, उसी जमाबंदी में काश्तकार के कॉलम में अप्रार्थीगण के पूर्वजो का नाम बतौर काश्तकार दर्ज था, जोकि अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पहले भी काश्तकार दर्ज थे तथा बाद में काश्तकार ही दर्ज रहे। बन्दोबस्त विभाग में किसी प्रकार की कोई नई एन्ट्री रिकार्ड में नही की हैं। माफीदार के कॉलम में माफी मंदिर का अंकन है, परन्तु जब माफी अधिग्रहित की गई तो मंदिर का नाम विलोपित करते हुये उसके स्थान पर राज्य सरकार का नाम अंकित हो गया एवं काश्तकार वैसे ही काश्तकार बना रहा। अतः अप्रार्थीगण के पूर्वज राजस्थान जमीदारी, बिस्वेदारी उल्मूलन अधिनियम की धारा 9 व 10 के अंतर्गत स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो गया। मंदिर के नाम यह भूमि बंदोबस्त रिकार्ड में खुदकाश्त कभी दर्ज नही रही, इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि अप्रार्थीगण के पूर्वज मंदिर की तरफ से काश्त कर रहा थे, बल्कि वह इस आराजी के खातेदार काश्तकार प्रारम्भ से ही थे। राजस्थान सरकार ने एक परिपत्र दिनांक 24–05–2007 को जारी कर समस्त जिला कलेक्टर्स को यह निर्देशित किया गया था कि ऐसी मंदिर माफी की भूमियां जिन पर काश्तकार के रूप में किसी व्यक्ति का नाम अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने से पहले दर्ज हो एवं वे भूमियां मंदिर की खुदकाश्त भूमि ना हो तो उनके रेफरेन्स मण्डल के समक्ष नही किया जावें। इसी आशय का परिपत्र राजस्व मण्डल ने भी दिनांक 06–01–2011 को जारी किया था. अतः रेफरेन्स प्रावधानों के विपरीत एव राज्य सरकार तथा राजस्व मण्डल के निर्देशो के विरूद्ध रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । अधिनियम 1955 की धारा 15 अधिनियम की धारा 9 व 10 राजस्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र सख्या ए 2 (2) राज–6/ 2007/14 दिनांक 24–05–2007 राजस्व मण्डल द्वारा जारी पत्र दिनांक 06 जनवरी, 2010 को ध्यान में रखते हुये रेफरेन्स प्रार्थना पत्र बलहीन, आधारहीन व प्रभावहीन होने के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावें।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट विभाग) के अवलोकन से जाहिर होता हैं कि विवादग्रस्त आराजी सम्वत् 2015–2034 में ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी दर्ज हैं और वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत् नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि

नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता हैं। विधिक दृष्टि में एक हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। देवमूर्ति की आराजी पर यदि पुजारी अथवा अन्य द्वारा काश्त भी की गई है तो भी खातेदारी अधिकार पुजारी अथवा अन्य को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी की विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा–काश्त भी की गई हैं तो वह मूर्ति का कब्जा–कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। पत्रावली पर ऐसे भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य नही है जो यह जाहिर करते हो कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के लागू होने अर्थात् सम्वत् 2009 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने अर्थात् सम्वत् 2012 के समय तुलसा पुत्र डूंगा बलाई का कब्जा काश्त रहा हो इस प्रकार नियमों के विपरित ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी की भूमि का इन्द्राज विभिन्न प्रविष्टियों के परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 में निजी खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी, किसी वैध आदेश के बिना, अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये किया गया इन्द्राज तथा पश्चात्वर्ती इन्द्राज जरिये नामान्तरकरण ग्राम चक–सरना डूंगर वादग्रस्त आराजी की सीमा तक प्रारम्भ से शून्य हैं और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक हैं ऐसी स्थिति में इन इन्द्राजों को निरस्त कर उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी वापिस ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। पक्षकार को दिनांक 10.06.2026 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवा जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मेघराज सिंह मीना)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर